वारेन हेस्टिंग्ज के सुधार
(REFORMS OF WARREN HASTINGS)

गवर्नर बनने के बाद हेस्टिंग्स को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसमें द्वैध शासन की समस्या सबसे महत्वपूर्ण थी। क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन प्रणाली के कारण बंगाल में अशान्ति और अराजकता फैल गयी थी। अकाल के कारण जनता में भुखमरी फैली हुई थी। कृषि न होने से राजस्व घटता जा रहा । निर्धनता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में डकैती की घटनाएँ बढ़ गयी थीं। लगान की ठेके प्रणाली ने कृषि को नष्ट कर दिया था। कम्पनी का कोष रिक्त था और उसे ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पौण्ड का ऋण माँगना पड़ा था। दूसरी ओर, कम्पनी के कर्मचारी अनुचित उपायों से धनोपार्जन करके धनवान हो रहे थे। हेस्टिंग्स ने इस समस्या का दृढ़ता से सामना किया और नवस्थापित अंग्रेजी राज्य की सुरक्षा करने में वह समर्थ सिद्ध हुआ।

प्रशासनिक सुधार तथा प्रशासन
(ADMINISTRATIVE REFORMS AND ADMINISTATION)

उसके प्रशासनिक सुधार निम्नलिखित थे—

(i) 1772 ई. में कम्पनी के डाइरेक्टरों ने हानिकारक द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया था। अतः वारेन हेस्टिंग्स का पहला कार्य द्वैध शासन को समाप्त करके बंगाल का शासन प्रबन्ध प्रत्यक्ष रूप से स्थापित करना था। इसके लिए उसने बंगाल के नायब दीवान मुहम्मद रजाखाँ और बिहार के नायब दीवान शिताबराय को उनके पदों से हटा दिया। राजस्व संग्रह के लिए कम्पनी ने अपने कर्मचारी नियुक्त किये। इसके लिए सम्पूर्ण बंगाल प्रान्त को 36 जिलों में विभाजित किया गया और जिलों में कलेक्टर नियुक्त किये गये।

(ii) कलकत्ता में बोर्ड ऑफ रेवन्यू की स्थापना की गयी।

(iii) राजकीय कोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानान्तरित कर दिया गया।

(iv) नवाब का प्रशासन से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया। उसके निजी गृह प्रबन्ध को हेस्टिंग्स ने पुनर्गठित किया। नवाब की पेंशन 32 लांख वार्षिक से घटाकर 16 लाख वार्षिक कर दी गयी। मीरजाफर की विधवा मुन्नी बेगम का अल्पवयस्क नवाब मुबारकुद्दौला का संरक्षक नियुक्त किया गया।

राजस्व सम्बन्धी सुधार
(REVENUE REFORMS)

1765 ई. में दीवानी प्रापत करने के पश्चात् कम्पनी ने लगान संग्रह का कार्य आमिलों के हाथों में रहने दिया था जो नवाब के काल में राजस्व संग्रह का कार्य करते थे। उन्हें राजस्व संग्रह पर कमीशन दिया जाता था लेकिन उनके अत्याचारों से कृषकों की स्थिति दयनीय हो गयी थी। 1769 ई. में उनके कार्यों का निरीक्षण करने के लिए सुपरवाइजरों की नियुक्त की गयी थी लेकिन इससे स्थिति में सुधार नहीं हुआ। अतः हेस्टिंग्स ने अग्रलिखित राजस्व सुधार किये—

हेस्टिंग्स ने एक वर्ष के स्थान पर पाँच-वर्षीय राजस्व संग्रह व्यवस्था अपनायी। जिन जमींदारों ने पिछले वर्षों का लगान देना स्वीकार नहीं किया उन क्षेत्रों को अधिक बोली लगाने वालों को पाँच वर्षों के लिए ठेके पर दे दिया गया। इस व्यवस्था के असफल होने पर 1778 ई. में पुनः एक वर्ष के ठेके की प्रणाली अपनायी गयी। किसानों की रक्षा के लिए जमींदारों से कहा गया कि वे किसानों को पट्टा दें। बंगाल प्रान्त को 36 जिलों में बाँटा गया और प्रत्येक जिले में अंग्रेज कलेक्टर नियुक्त किया गया जो जमींदारों की सहायता से राजस्व संग्रह के लिए उत्तरदायी था। कलेक्टर अत्याचार न कर सकें इसलिए उन्हें आदेश दिया गया कि वे कृषकों को ऋण न दें और जमींदारों से उपहार, भेंट स्वीकार न करें। कलेक्टरों की सहायता के लिए प्रत्येक जिले में एक दीवान नियुक्त किया गया। राजस्व संग्रह पर नियन्त्रण रखने के लिए छः प्रान्तीय रेवेन्यू काउन्सिल नियुक्त की गयीं। इनके कार्यालय कलकत्ता, बर्दवान, मुर्शिदाबाद, दीनाजपुर, ढाका और पटना में रखे गये। इस सारी व्यवस्था के संचालन के लिए कलकत्ता में रेवेन्यू बोर्ड (राजस्व मण्डल) की स्थापना की गयी। इसमें गवर्नर जनरल की काउन्सिल के दो सदस्य और तीन अंग्रेज अधिकारी रखे गये। रायरायान नामक भारतीय अधिकारी इनकी सहायता के लिए नियुक्त किया गया।

वस्तुतः राजस्व की मूल समस्या यह थी कि मालगुजारी की माँग बहुत अधिक थी और जमींदार किसानों से बहुत सख्ती से लगान वसूलते थे। इससे कृषि की अवनति हुई और बकाया लगान की रकम बढ़ती गयी।

व्यापार सम्बन्धी सुधार
(COMMERCIAL REFORMS)

सरकार आय का दूसरा स्रोत चुंगी थी। मुख्य समस्या जमींदारों की चुंगी चौकियों और कम्पनी के कर्मचारियों के द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के कारण भ्रष्टाचार था। हेस्टिंग्स ने केवल पाँच स्थानों पर चौकियाँ रखीं और शेष सबको हटा दिया। ये पाँच स्थान थे—कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, पटना, ढाका। दस्तक की प्रथा को पूर्ण रूप से बन्द कर दिया गया। तम्बाकू और सुपारी पर 30%, नमक पर 10% और शेष वस्तुओं पर $2\frac{1}{2}\%$ चुंगी लगायी गयी। नमक तथा अफीम का व्यापार पूर्ण रूप से सरकार के नियन्त्रण में रखा गया। दस्तक समाप्त होने तथा चुंगी की बाधाएँ हटने से व्यापार को प्रोत्साहन मिला। व्यापारियों की सहायता के लिए कलकत्ता में बैंक की स्थापना की गयी। बुनकरों को सुविधाएँ दी गयीं। कलकत्ता में सरकारी टकसाल स्थापित की गयी और निश्चित मूल्य की मुद्राएँ ढाली जाने लगीं। कम्पनी के लिए माल खरीदने के लिए एक व्यापारिक परिषद् का गठन किया गया।

न्याय सम्बन्धी सुधार
(JUDICIAL REFORMS)

न्याय के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार किये गये। प्रत्येक जिले अथवा मुफस्सिल में एक दीवानी अदालत स्थापित की गयी। जिले का कलेक्टर इस अदालत का अध्यक्ष था। उसकी सहायता नायाब दीवान करता था। कानून सम्बन्धी परामर्श देने के लिए काजी, मुफ्ती, मौलवी और पंडित को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। परगनों में रेवेन्यू फार्मरों (लगान संग्रहकों) तथा जमींदारों को 10 रु. तक के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया। अभी तक जुर्माने की रकम का चौथाई भाग न्यायाधीश को मिलने की परम्परा थी, उसे बन्द कर दिया गया। दीवानी अदालतों की प्रक्रिया निश्चित की गयी। दीवानी की मुख्य अदालत को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया और उसका नाम सदर दीवानी अदालत रखा गया। इसका अध्यक्ष गवर्नर जनरल था और काउन्सिल के दो सदस्य उसकी सहायता के लिए रखे गये। रायरायान, मुख्य कानूनगो तथा माल विभाग के अधिकारी उसकी सहायता करते थे। यह अदालत जिलों की दीवानी अदालतों के निर्णयों के विरूद्ध अपील सुनती थी। निर्णय हिन्दू और मुस्लिम धर्मों के अनुसार किया जाता था।

फौजदारी अदालत को भी मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया। इसे अब सदर निजामत अदालत कहा गया। इसका अध्यक्ष दारोगा था। उसको परामर्श देने के लिए काजी, मुख्य मुफ्ती और तीन मौलवियों को अदालत में शामिल किया गया। यह अदालत केवल उन्हीं मुकदमों की सुनवाई करती थी जिसमें मृत्यु दण्ड दिया जाता था। शेष फौजदारी मुकदमों की सुनवाई जिला या मुफस्सल निजामत आदलतें करतीं थीं। हेस्टिंग्स ने जजों को नकद वेतन देने की व्यवस्था की। रेग्यूलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद फौजदारी न्याय व्यवस्था में पुनः परिवर्तन किये गये। न्यायालयों के लिए रिकार्ड रखना आवश्यक किया गया।

निजामत के अन्तर्गत शान्ति और व्यवस्था स्थापित करना भी मुख्य कार्य था। अभी तक जिलों में फौजदार तथा उनके नीचे थानेदार रखे जाते थे। 1770 ई. में फौजदारों को हटाकर सुपरवाइजर्स नियुक्त किये गये। 1775 ई. में हेस्टिंग्स ने पुनः फौजदार प्रणाली लागू की। 1781 ई. में उसने फौजदारों को हटाकर पुलिस अधिकार जिलों के सिविल जजों को दे दिये। वे थानेदारों की सहायता ले सकते थे। डाकुओं को मृत्यु दण्ड देने की व्यवस्था की गयी लेकिन इसके बाद भी अशान्ति बनी रही।

सुधारों का मूल्यांकन
(EVALUATION OF REFORMS AND ADMINISTRATION)

हेस्टिंग्स ने बंगाल प्रान्त में कम्पनी का प्रत्यक्ष शासन स्थापित करके विभिन्न सुधारों द्वारा सुव्यवस्था स्थापित करने का महती प्रयास किया था। उसने कम्पनी के प्रशासन की आधारशिला स्थापित की। क्लाइव ने अंग्रेजी राज्य की नींव डाली थी, वारेन हेस्टिंग्स ने इसके प्रशासन का संगठन किया लेकिन इस कार्य में उसे सीमित सफलता प्राप्त हुई और प्रशासकीय सुधार अधूरा रहा। वह बन्दोबस्त करने में असफल रहा और कृषि की अवनति बढ़ती गयी। कृषकों तथा जमींदारों की दरिद्रता में वृद्धि हुई और साहूकार मालामाल हो रहे थे। उसने मध्यम और निचली अदालतों की स्थापना नहीं की थी। इससे सामान्य लोगों के लिए न्याय मिलना मुश्किल हो गया। उसके सुधारों की अपूर्णता के कारण फौजदारी अदालतों तथा पुलिस में भ्रष्टाचार बना रहा। उसने कम्पनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। इससे कम्पनी की सिविल सर्विस में भ्रष्टाचार बना रहा। कहा गया है कि उसने उतना ही सुधार किया जितना डाइरेक्टरों ने उससे कहा। फिर भी सुधारों के क्रियान्वयन में उसने दूरदर्शिता प्रदर्शित कि। **डॉ. ईश्वरी प्रसाद** के अनुसार, उसके सुधार वस्तुतः '**एक क्रान्ति के समान**' थे जिनसे वह आधारशिला रखी गयी जिस पर बाद में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई।